रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, बुधवार, मई 12, 1999/वैशाख 22, 1921
No. 32] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 12, 1999/VAISAKHA 22, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1999

सं. टी ए एम पी/3/98-सी एच पी टी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार सीमा शुल्क द्वारा कार्गो की रुकौनी के मामले में निशुल्क दिवसों के निर्धारण और विलम्ब शुल्क लगाने से संबंधित प्रावधानों के संबंध में चेन्नई पत्तन न्यास (सी.एच.पी.टी.) के दरमानों को संशोधित करता है।

मामला सं. टी ए एम पी/3/98-सी एच पी टी

कलकत्ता पत्तन न्यास **आवेदक**

आदेश

(13 अप्रैल, 1999 को पारित)

यह मामला चेन्नई पत्तन न्यास (सी.एच.पी.टी) से सितम्बर, 98 में प्राप्त एक प्रस्ताव से संबंधित है। यह प्रस्ताव सीमा शुल्क द्वारा कार्गो की रुकौनी के मामले में 'अतिरिक्त निशुल्क दिवस' के निर्धारण और विलम्ब शुल्क लगाने से संबंधित प्रावधानों के संबंध में दरमानों को संशोधित करने के लिए है।

2. इस प्रस्ताव को टिप्पणियों के लिए केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सी०बी०ई०सी०) तथा सदर्न इंडिया चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एस०आई०सी०सी०आई०) में परिचालित किया गया था। परन्तु किसी भी पक्षकार से कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं।

3. हमारी स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार मामले को संयुक्त सुनवाई के लिए उठाया गया। उस स्तर पर सी०एच०पी०टी० के परामर्श से मद्रास चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एम०सी०सी०आई०) और चेन्नई स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन (सी एस ए ए) को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार सी०एच०पी०टी० के अतिरिक्त सभी चारों संगठनों सी बी ई सी, एस आई सी सी आई, एम सी सी आई और सी एस ए ए को नोटिस जारी किए गए।

4. इस मामले की 22 जनवरी, 99 को सी एच पी टी में संयुक्त सुनवाई की गई। केवल सी एच पी टी टी, एम सी सी आई और सी एस ए ए ने भाग लिया। सी बी ई सी और एस आई सी सी आई नोटिस के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए।

5. प्रस्ताव का मूल उद्देश्य जैसा कि सी०एँच०पी०टी० के प्रस्ताव से मालूम किया जा सकता है, निम्न प्रकार है :—

(i) आयात व्यापार निर्यंत्रण औपचारिकताओं के मामलों में उपलब्ध 'समय सीमा' की संकल्पना को विश्लेषण/तकनीकी परीक्षण के मामलों पर भी लागू करना।

(ii) समय सीमाओं के बारे में अधिक यथार्थ होना ताकि संयोग और विवादों की गुंजाइश समाप्त की जा सके।

(iii) 'रुकौनी प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने के लिए भी 'समय सीमा' की संकल्पना को लागू करना।

(iv) 'अतिरिक्त' निशुल्क समय में केवल मूल 'परीक्षण' कार्यकलाप शामिल करना तथा पत्राचार, अपीलों, समीक्षाओं अन्य प्रक्रियात्मक विलम्ब आदि को शामिल न करना।

6. संयुक्त सुनवाई में हुई वार्ताओं से निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न हुए :-

(i) दरमानों में संदर्भाधीन प्रावधान का अभिप्राय उन आयातकों/निर्यातकों के लिए है जिनका कार्गो सीमा शुल्क द्वारा रोक लिया जाए।

(ii) सीमा शुल्क द्वारा रुकौनी विश्लेषण/तकनीकी परीक्षणों (मूल्यांकन की सामान्य प्रक्रियाओं को छोड़कर) अथवा आयात व्यापार नियंत्रण औपचारिकताओं के लिए की जा सकती है।

(iii) इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित 'अतिरिक्त निशुल्क समय' की कोई सीमा नहीं है। प्रावधान के इस अंतर का प्राय: पत्तन न्यास के हितों को अवरुद्ध करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है।

(iv) पूर्ववर्ती मुद्दे में उल्लिखित प्रावधान के अंतर का लाभ उठाते हुए पक्षकार सामान्यत: प्रक्रियात्मक विलम्ब, सीमा-शुल्क के साथ मुकदमेबाजी में लगे समय आदि को भी "रुकौनी" की अवधि में शामिल करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इससे पत्तन न्यास को राजस्व की हानि होती है।

(v) कलकत्ता पत्तन न्यास और विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ऐसी अतिरिक्त निशुल्क समय सुविधा बिल्कुल नहीं देते हैं। मुंबई पत्तन न्यास केवल नाममात्र की सुविधा देता है। इस पृष्टभूमि में सी एच पी टी के दरमानों के प्रावधान को अत्यधिक उदार माना जा सकता है।

(vi) यद्यपि अतिरिक्त 'निशुल्क समय' का सीमांकन ही नहीं बल्कि दरमानों में सीमा शुल्क से प्राप्त 'रुकौनी' प्रमाण-पत्र 'प्रस्तुत' करने की भी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। बहुत से मामलों में रुकौनी प्रमाण-पत्र कई वर्षों के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते हैं। इससे प्रशासनिक समस्याओं (परिहार्य) के उत्पन्न होने के अतिरिक्त राजस्व की हानि भी होती है। सी एच पी टी द्वारा काल बाधित रूप से रुकौनी प्रमाण-पक्षों को अस्वीकृत करने के प्रयास विफल रहे हैं क्योंकि दरमानों में समय-सीमा निर्धारित करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

(vii) आयात व्यापार नियंत्रण औपचारिकताओं के संबंध में कार्गो को रोकने की समय-सीमा है—निर्धारित रियायती विलम्ब शुल्क सामान्य परिस्थितियों में किसी जलयान के लिए उपलब्ध अंतिम 'निशुल्क दिवस' से अधिकतम केवल 150 दिनों के लिए लगाया जा सकता है। परन्तु इस निर्धारण का लाभ व्यावहार में व्यर्थ हो जाता है क्योंकि "रुकौनी प्रमाण-पत्र" को प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब होता है।

7.1 संयुक्त सुनवाई में पत्तन न्यास और प्रयोक्ता दोनों को अध्याय IV के मान 'क'-आयात और मान "ख"—निर्यात में 'निशुल्क'· दिवसों से संबंधित संगत प्रावधान के संशोधित प्ररूप के बारे में किसी सम्मत प्रस्ताव के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

7.2 यद्यपि संयुक्त सुनवाई में यह सहमति हुई थी कि समय सीमाओं को दैवी कार्यों अथवा मानव नियंत्रण से बाहर की असाधारण परिस्थितिओं में छूट देने की आवश्यकता होगी परन्तु संशोधित प्रस्ताव में इसका विलोप कर दिया गया मालूम होता है। फिर भी अपेक्षित प्रावधान के महत्व के कारण और संयुक्त सुनवाई में हुई सहमति को ध्यान में रखते हुए इस प्रावधान को जोड़ने का निर्णय किया गया है।

7.3 इसी प्रकार संशोधित प्रस्ताव में सभी अवकाशों को शामिल करके सूचित समय सीमाओं के बारे में एक अन्य सहमत प्रस्ताव के संदर्भ का विलोपन कर दिया गया है। यहाँ संयुक्त सुनवाई में हुई सहमति को पुन: ध्यान में रखते हुए इस प्रावधान को जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

8. इस मामले के संबंध में एकत्र की गई समस्त सूचना/ब्यौरों/आंकड़ों के संदर्भ में और सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर प्राधिकरण ने इस मामले को आज अपनी बैठक में अंतिम विचारण के लिए उठाया।

9. तदानुसार यह प्राधिकरण सी एच पी टी के दरमानों की पुस्तिका 1, अध्याय IV, मान 'क' और 'ख' में निम्नलिखित संशोधन करता है।

9.1 पुस्तिका-I, अध्याय IV—विलम्ब शुल्क

मान 'क'-आयात—'निशुल्क दिवस'

विद्यमान पैरा 13 का विलोपन और उसके स्थान पर निम्नलिखित का प्रतिस्थापन कीजिए :-

"13(क) वे अवधियां जिनके दौरान सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा माल को मूल्यांकन की सामान्य प्रक्रिया को छोड़कर विशेष जाँच जिसमें विश्लेषण अथवा तकनीकी परीक्षण शामिल हों, के प्रयोजनार्थ रोका जाए और उन्हें सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाए, आयातकों की ओर से किसी गलती अथवा लापरवाही के कारण नहीं मानी जाएंगी, और

(ख) जब माल को सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा आयात नियंत्रण औपचारिकताओं के कारण रोका जाए और सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाए तो वह आयातक की ओर से किसी गलती अथवा लापरवाही के कारण नहीं होगी, रुकौनी की ऐसी अवधि के लिए 13(क) और (ख) के अधीन निम्नलिखित विलम्ब शुल्क वसूल किया जाएगा :—

प्रथम 45 दिन	निशुल्क
46 दिन से 60 दिन तक	वातिस्वक विलम्ब शुल्क का 25%

61 दिन से 90 दिन तक	वास्तविक विलम्ब शुल्क का 50%
90 दिन के बाद	वास्तविक विलम्ब शुल्क100%

पूरी दर पर वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभारों की गणना 45 दिन के पश्चात् यथा लागू उचित स्तर के दरमान के अनुसार की जाएगी और उपर्युक्त रियायती दर उन पर लागू होने वाले पूरे विलम्ब शुल्क प्रभारों पर लागू की जाएगी।

प्रथम 45 दिवसों की गणना इस प्रकार की जाएगी:—

(i) यदि कार्गो को निशुल्क दिनों के व्यतीत होने से पहले सीमाशुल्क द्वारा रोका जाए तो निशुल्क दिवसों के व्यतीत होने के पश्चात् प्रथम 45 दिवस, और

(ii) यदि कार्गो को सीमा शुल्क द्वारा विलम्ब शुल्क प्रभारों के संचयन के पश्चात् रोका जाए तो रूकौनी की तारीख से प्रथम 45 दिवस।

उक्त रियायत प्राप्त करने के लिए रूकौनी प्रमाण-पत्र माल की स्वीकृति की तारीख से 6 महीने की अवधि में प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणी :—

(i) उपर्युक्त समय सीमाओं में सभी अवकाश शामिल होंगे।

(ii) समय सीमाओं में दैवी कार्यों अथवा मानव नियंत्रण से बाहर असाधारण परिस्थितियों के मामलों में छूट दी जा सकती है।

9.2 पुस्तिका-1 अध्याय IV—विलम्ब शुल्क

मान 'ख'—निर्यात—'निशुल्क दिवस'

विद्यमान पैरा 4 का विलोपन और उसके स्थान पर निम्नलिखित का प्रतिस्थापन कीजिए :—

"4. सीमा शुल्क द्वारा रोका गया माल :—वह अवधि जिसके दौरान माल को सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा मूल्यांकन की सामान्य प्रक्रिया को छोड़कर विश्लेषण परीक्षणों अथवा तकनीकी परीक्षणों के प्रयोजनार्थ रोका जाए और सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाए तो उसे निर्यातक की ओर से किसी गलती अथवा लापरवाही के कारण नहीं माना जाएगा, ऐसी रूकौनी की अवधि के लिए विलम्ब शुल्क प्रभार निम्न प्रकार से वसूल किए जाएंगे :

प्रथम 45 दिन	निशुल्क
46 दिन से 60 दिन तक	वास्तविक विलम्ब शुल्क का 25%
61 दिन से 90 दिन तक	वास्तविक विलम्ब शुल्क का 50%
90 दिन के बाद	वास्तविक विलम्ब शुल्क 100%

पूरी दर पर वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभारों की गणना 45 दिन के पश्चात् यथा लागू उचित स्तर के दरमान के अनुसार की जाएगी और उपर्युक्त रियायती दर उन पर लागू होने वाले पूरे विलम्ब शुल्क प्रभारों पर लगाई जाएगी।

प्रथम 45 दिवसों की गणना इस प्रकार की जाएगी :—

(i) यदि कार्गो को निशुल्क दिनों के व्यतीत होने से पहले सीमाशुल्क द्वारा रोका जाए तो निशुल्क दिवसों के व्यतीत होने के पश्चात् प्रथम 45 दिवस, और

(ii) यदि कार्गो को सीमा शुल्क द्वारा विलम्ब शुल्क प्रभारों के संचयन के पश्चात् रोका जाए तो रूकौनी की तारीख से प्रथम 45 दिवस।

उक्त रियायत प्राप्त करने के लिए रूकौनी प्रमाण-पत्र माल की निकासी की तारीख से 6 महीने की अवधि में प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणी :—

(i) उपर्युक्त समय सीमाओं में सभी अवकाश शामिल होंगे।

(ii) समय सीमाओं में दैवी कार्यों अथवा मानव नियंत्रण से बाहर असाधारण परिस्थितियों के मामलों में छूट दी जा सकती है।"

एस० सत्यम, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/99 (असाधारण)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 1999

No. TAMP/3/98-CHPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amends the Scale of Rates of Chennai Port Trust (CHPT) in respect of the provisions relating to determination of free days and imposition of demurrage in cases of detention of cargo by the Customs as in the Order appended hereto.

Case No.TAMP/3/98-CHPT

The Chennai Port Trust ... **Applicant**

ORDER

(Passed on this 13th day of April, 1999.)

This case relates to a proposal received in September 98 from the Chennai Port Trust (CHPT). The proposal is for amending the Scale of Rates in respect of provisions relating to determination of 'additional free days' and imposition of demurrage in cases of detention of cargo by the Customs.

2. The proposal was circulated for comments to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) and to the Southern India Chamber of Commerce and Industry (SICCI). But, no comments were received from either party.

3. In accordance with our accepted procedure, the case was then taken up for a joint hearing. At that stage, in consultation with the CHPT, it was decided also to involve the Madras Chamber of Commerce and Industry (MCCI) and the Chennai Steamer Agents' Association (CSAA). Accordingly, notices were issued to all the four organisations – CBEC, SICCI, MCCI, and CSAA – besides the CHPT.

4 The joint hearing in this case was held at the CHPT in Chennai on 22 January 99. Only the CHPT, MCCI, and the CSAA participated. The CBEC and the SICCI were not present in spite of notice.

5. The basic purpose of the proposal, as can be gleaned from the CHPT proposal, is as follows:

(i). To extend the concept of 'time limit' available in cases of Import Trade Control formalities to cases of analytical/technical tests also.

(ii). To be more precise about the time limits so as to eliminate scope for casualness and for disputes.

(iii). To introduce the concept of 'time limit' even for production of 'detention certificate'.

(iv). To let the 'additional free time' cover only the basic 'test' activities and **not** the time taken for correspondences, appeals, review, other procedural delays, etc.

6. In the deliberations at the joint hearing, the following points emerged:

(i). The provision in reference in the Scale of Rates is intended for the benefit of the importer/exporter whose cargo may be detained by the Customs.

(ii). The detention by the Customs can be either for analytical/technical tests (other than the ordinary processes of appraisement) or for Import Trade Control formalities.

(iii). There is no limit to the 'additional free time' required for this purpose. This gap in the provision is often exploited to the detriment of the interests of the Port Trust.

(iv). Taking advantage of the gap in the provision cited in the preceding point, generally parties tend to cover even periods of procedural delay, time taken in litigation with the Customs, etc., in the 'detention' period. This causes loss of revenue to the Port Trust.

(v). The Calcutta Port Trust and the Visakhapatnam Port Trust do not give any such additional free time facility at all. The Mumbai Port Trust gives only a very nominal facility. In this backdrop, the provision in the CHPT's Scale of Rates can only be seen to be very liberal.

(vi). As though lack of limitation on the 'additional free time' is not enough, the Scale of Rates does not also prescribe any time limit for production of the 'detention certificate' from the Customs. In many cases, the detention certificates are produced after several years. Apart from causing (avoidable) administrative problems, this also causes loss of revenue. Attempts by the CHPT to reject detention certificates as being time-barred have failed because of absence of a specific provision in the Scale of Rates prescribing time limits.

(vii). For detention of cargo on account of Import Trade Control formalities there is a time limit – the concessional demurrage prescribed is leviable only for a maximum of 150 days from the last 'free day' available to a vessel under normal circumstances. But, the benefit of this prescription gets watered down in practice because of the interminable delays in production of 'detention certificates'.

7.1. In the joint hearing, both the Port Trust and the users could be persuaded to come to an agreed proposition about the revised format of the relevant provision relating to 'free days' in Scale A – Imports and Scale B – Exports of Chapter IV.

7.2. Although it was agreed at the joint hearing that the time limits would need to be relaxed in cases of Acts of God or of extraordinary circumstances beyond human control, the revised proposal seems to have omitted it. Nevertheless, because of the significance of the provision required, and bearing in mind the agreement reached at the joint hearing, it is decided to add this provision.

7.3. Likewise, the revised proposal has omitted reference to another agreed proposition about the 'time limits' indicated being inclusive of all holidays. Here, again, bearing in mind the agreement reached at the joint hearing, it is decided to add this provision.

8. With reference to all the information / details / data collected in respect of this case, and based on a collective application of mind, this Authority took up this case for final consideration in its meeting today.

9. Accordingly, this Authority approves the following amendments in Book 1 Chapter IV, Scales A and B of the Scale of Rates of the CHPT.

9.1. **Book 1 – Chapter IV – Demurrage**
Scale 'A' – Imports – 'Free Days'

Delete the existing para 13 and substitute by the following:-

"13. (a) Periods during which the goods are detained by the Commissioner of Customs for the purpose of special examination involving analytical or technical test other than the ordinary process of appraisement and certified by the Commissioner of Customs to be not attributable to any fault or negligence on the part of the Importers; and,

(b) where goods are detained by the Commissioner of Customs on account of Import Control formalities and certified by the Commissioner of Customs to be not attributable to any fault or negligence on the part of the Importer, for such period of detention under 13 (a) and (b), the demurrage charges shall be recovered as under:

First 45 days	:	Free
46 days to 60 days	:	25% of actual demurrage charges
61 days to 90 days	:	50% of actual demurrage charges
Beyond 90 days	:	100% of actual demurrage charges.

Actual demurrage charges at full rate shall be worked out as per Scale of Rates at the appropriate slab as applicable after 45 days and the concessional rate mentioned above shall be applied thereon on the full demurrage charges leviable.

The first 45 days shall be reckoned with as follows:

(i) first 45 days after expiry of free days if cargo detained by the Customs before expiry of free days; and,
(ii) first 45 days from the date of detention if cargo is detained by the Customs after accrual of demurrage charges.

The detention certificate for availing the above concession shall be submitted within a period of six months from the date of clearance of goods.

NOTE:

(1). The above time limits will be inclusive of all holidays.
(2). The time limits can be relaxed in cases of Acts of God or of extraordinary circumstances beyond human control.

९.2. **Book 1 – Chapter IV – Demurrage**
Scale 'B' – Exports – 'Free Days'

Delete the existing para 4 and substitute by the following:-

"4. Goods detained by Customs: The period during which the goods are detained by the Commissioner of Customs for the purpose of analytical tests or technical tests, other than the ordinary process of appraisement and certified by the Commissioner of Customs to be not attributable to any fault or negligence on the part of the Exporter, for such periods of detention, the demurrage charges shall be recovered as under:

First 45 days	:	Free
46 days to 60 days	:	25% of actual demurrage charges
61 days to 90 days	:	50% of actual demurrage charges
Beyond 90 days	:	100% of actual demurrage charges.

Actual demurrage charges at full rate shall be worked out as per Scale of Rates at the appropriate slab as applicable after 45 days and the concessional rate mentioned above shall be applied thereon on the full demurrage charges leviable.

The first 45 days shall be reckoned with as follows:

(I) first 45 days after expiry of free days if cargo detailed by the Customs before expiry of free days; and,

(ii) first 45 days from the date of detention if cargo is detained by Customs after accrual of demurrage charges.

The detention certificate for availing the above concession shall be submitted within a period of six months from the date of clearance of goods.

NOTE:

(1). The above time limits will be inclusive of all holidays.
(2). The time limits can be relaxed in cases of Acts of God or the extraordinary circumstances beyond human control. ”

S. SATHYAM, Chairman

[No. Advt./III/IV/143/99/(Exty)]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110 064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110 054